भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *308

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

बीमा कंपनियों का विलय

308. श्री संजय सदाशिव राव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों का विलय करने का प्रस्ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं और इससे कितना लाभ और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधित ट्रेड यूनियनों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर ट्रेड यूनियनों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का यह विलय सरकार की विनिवेश कार्यनीति का एक भाग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'बीमा कंपनियों का विलय' के संबंध में श्री संजय सदाशिव राव मांडलिक और श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा पूछे गए 15 जुलाई, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *308 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड.): बजट भाषण 2018-19 में यह घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि., युनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. और ओरिएण्टल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय करके एक एकल बीमा कंपनी बनाई जाएगी तथा तत्पश्चात इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। इस मामले में कोई निर्दिष्ट समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। किसी भी विलय का औचित्य उच्चतर स्तर, सामंजस्य, कार्यकुशलता को प्राप्त करने, व्यय को युक्तिसंगत बनाने, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने, मूल्य को प्रकट करने आदि में है, जिसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यमान विधिक, विनियामकीय अनुपालनों के साथ-साथ शेयरधारकों के साथ परामर्श भी किया जाता है।

*****